

जन देयता : तृतीय पक्ष की दुर्घटना / कानूनी देयता / अवांलती निषेध के अधीन ।

व्यापार में व्यावधान : यदि अनुभाग I के अधीन दावा देय है तो एल. ओ. पी. पॉलिसी के अनुसार लाभ की हानि / अनुबंधिक व्यय आवंटित होंगे ।

दावा प्रक्रिया / जरूरतें :

- 1) पॉलिसी संख्या, दुर्घटना / क्षति की तिथि, क्षति की अनुमानित राशि, आदि विवरण देते हुए तथा पॉलिसी की प्रति के साथ सथा शीघ्र सूचना ।
- 2) दावा प्रपत्र
- 3) सर्वेक्षण
- 4) यदि दावा अग्नि, संधारी, धनबीमा, बोज आदि के अंतर्गत है तो अनिश्चय रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट, पंचनामा, अंतिम रिपोर्ट ।
- 5) मौं जाने पर अन्य कागजात ।

एक ऐसा पैकेज जो दुकान के मालिक को सारे जोखिम बीमा कंपनी को सौंपते हुए अपना व्यापार स्वतंत्र हो कर चलाने का अवसर प्रदान करता है । खुदरा व्यापार को चलाने संबंधी सभी जरूरतों के लिए हर प्रकार का बीमा समाधान है यह पैकेज ।

A package that offers the shop owner the opportunity to manage his business leaving the risk factors to his insurer. An umbrella cover for overall insurance solutions for a variety of requirements for managing retail business.

Public Liability : Accident to third party subject to legal liability / through court.

Business Interruption : If the claim is payable under section - I than loss of profit / incidental expenses as per LOP policy held covered.

CLAIM PROCEDURE / REQUIREMENT :

- 1) Intimation at the earliest giving details of Policy No., Date of Accident / Loss, Approximate loss Amount, Copy of Policy.
- 2) Claim Form
- 3) Survey
- 4) If claim under fire, Burglary, Money Insurance, Baggage etc. than Fire-Brigade Report, F.I.R., Panchnama, Final Report.
- 5) Other document if asked for.

वि न्यू इंडिया एश्योरंस कं. लि. सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा अनुभवी गैर जीवन बीमा कंपनी है, जिसके 1100 प्रचालन कार्यालय हैं और भारत की समस्त कंपनियों की अग्रणी इस कंपनी ने विविध उत्पादों की लंबी सूची के साथ ही भारत की पहली एयर लाइन से लेकर उपग्रह तक का बीमा किया है और इसका प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है ।

The New India Assurance Co. Ltd. is the largest and the oldest non-life insurance company with more than 1100 operating offices and is a pioneer among Indian Companies, insuring the first domestic air-line to satellite with an array of products and having its Head Office at Mumbai.

हम अग्नि, अग्नि, रेडीक्लेम,

समुद्रपारीय रेडीक्लेम, व्यक्तिगत दुर्घटना और अन्य बहुत से क्षेत्रों का भी बीमा करते हैं ।

We also insure risks relating to **MARINE, FIRE, MEDICLAIM, OVERSEAS ACCIDENT** and a lot more.

PERSONAL ACCIDENT and a lot more.

अग्रणी कंपनी का आश्रसन

ASSURANCE OF THE LEADER



वि न्यू इंडिया एश्योरंस कंपनी लिमिटेड

THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LTD.
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में / Wholly owned by the Govt. of India)

भारत की अग्रणी गैर-जीवन बीमा कंपनी
India's Premier Non-Life Insurance Company

एजेंसी विभाग

मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय - I

न्यू इंडिया भवन, 34/38, बैंक स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400 023.

Agency Cell

Mumbai Regional Office - I

New India Bhavan, 34/38, Bank Street, Fort, Mumbai - 400 023.

(आई.आर.डी.ए. पंजीकरण संख्या / IRDA Registration No. : 190)

CIN No. : U99999 MH1919 GOI 000526

Website : www.newindia.co.in

अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीक के न्यू इंडिया एश्योरंस कं. लि. के कार्यालय से संपर्क करें ।
कानूनी व्याख्या के लिए अंग्रेजी अवतरण मान्य होगा ।

"बीमा अप्रग्रह की विषय वस्तु है"

For further details contact your nearest NIA Office.

For legal interpretation English version will hold good.

"Insurance is the subject matter of Solicitation"



वि न्यू इंडिया एश्योरंस कंपनी लिमिटेड


(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में)

भारत की अग्रणी गैर-जीवन बीमा कंपनी

THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LTD

(Wholly owned by the Govt. of India)

India's Premier Non-Life Insurance Company



आपकी दुकान के लिए संपूर्ण

सुरक्षा

Overall

SURAKSHA


for your Shop

हम आपकी

दुकान की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं

We ensure your

Shop is Secured



दुकानदार का बीमा

(दुकानदार बीमाधारक के स्वामित्व में)

अनुभाग - 1 : अग्नि एवं संबंधित जोखिम

- क) **विलिखन** : (केवल क्लास ए निर्माण के लिए)
 ख) **सामान** : (रुपये-पैसे / मूल्यवान वस्तुएं छोड़कर)
आवर्तित जोखिम : ₹. 10 करोड़ तक
- 1) अग्नि एवं इससे संबंधित जोखिम, भूकंप
आतंकवाद कवर (अतिरिक्त वैकल्पिक प्रीमियम) : पूल के दिशानिर्देशों के अनुसार

अनुभाग - 2 : डकैती और संधमारी

बिल्डिंग में रखे गए सामान का बीमा मूल्य ऊपर अनुभाग 1 (ख) में दर्शाए गए मूल्य के बराबर होना चाहिए (₹. 10 करोड़ तक)

अनुभाग - 3 : मार्गस्थ नकदी (रुपये - पैसे का बीमा)

- क) मार्गस्थ नकदी (₹. 25 लाख से अधिक नहीं)
 ख) तिजोरी में खंड 1 के अंतर्गत (₹. 25 लाख तक) अथवा बीमित राशि का 2%

ग) कार्टर पर खंड 1 के अंतर्गत केवल कारोबार के घंटों के दौरान ₹. 5 लाख तक तथा बीमित राशि के 1% तक

अनुभाग - 4 : पेंडल साइकिल**अनुभाग - 5 : प्लेट ग्लास**

बीमित राशि का 10% के अंतर्गत ₹. 15 लाख तक

अनुभाग - 6 : निऑन / ग्लो साइन

संपूर्ण साइन बोर्ड की चोरी सहित ₹. 10 लाख तक

अनुभाग - 7 : बैगज बीमा

₹. 1.5 लाख तक

अनुभाग - 8 : व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा - दिशानिर्देशों के अनुसार**अनुभाग - 9 : निष्ठा गारंटी**

बीमित राशि के 10% के अंतर्गत प्रति व्यक्ति ₹. 5 लाख तक तथा सकल ₹. 25 लाख

अनुभाग - 10 : जन देयता

क) बीमित राशि का 5% के अंतर्गत ₹. 5 लाख तक

ख) कामगार मुआवजा कवर - मजदूरी के अनुसार

अनुभाग - 11 : लाभप्रदता की हानि के लिए कवर - अग्नि मुनाफे की हानि के अनुसार

- संपत्ति का विवरण : अनुभाग - 1 के अनुसार
 बीमित राशि : अनुभाग - 1 (ख) के अनुसार
 दरें : अनुभाग - 1 (ख) के अनुसार

दिष्णी :

- 1) अनुभाग 1 ख और 2 अनिवार्य है + कोई 2 सारणियाँ अर्थात् कुल 4 सारणियाँ अनिवार्य हैं।
 2) जोखिम और समूह छूट : हाउस होल्डर पॉलिसी के अनुसार।
 3) बीमा के अंतर्गत, केवल अनुभाग 1 के अंतर्गत बीमित राशि के 15% की राशि की छूट दी जा सकती है।
 4) अग्नि वर्ग के अंतर्गत आधिव्य, अग्नि पॉलिसी के सामान्य अपवर्जन के अनुभाग 2 के अनुसार अर्थात् न्यूनतम ₹. 10,000 तथा अधिकतम ₹. 25,000 की शर्त पर दावा राशि का 5%।
 5) यदि बीमाधारक लाभप्रदता की हानि का कवर लेता है तो (अनुभाग 11) तब उसे अनुभाग 1 और 2 की सारणी लेनी होगी तथा शेष 9 अनुभागों से कोई भी 2 सारणियाँ चुन सकता है। वह शेष दो में से लाभप्रदता कवर चुन सकता है। (अर्थात् पॉलिसी लेने के लिए न्यूनतम 4 कवर लेने की आवश्यकता है)

आवरण :

अग्नि : यह अनुभाग अग्नि के विरुद्ध और इससे संबंधित जोखिमों जैसे कि तड़ित, गैस अस्पांस के कारण विस्फोट, वाटर टैंक अथवा पाइप फटना, उपद्रव एवं हड़ताल यहां तक कि भूकंप से हानि, भूधसकन, तूफान और चक्रवात तथा अन्य दुर्भावनाजन्य कार्य भी आवर्तित हैं।

चोरी : यह कवर चोरी और संधमारी के कारण परिसर में संपत्ति की हानि और टूटफूट के विरुद्ध प्रदान किया जाता है।

धन : यह कवर कैशियर की अलमारी, कार्टर या तिजोरी/स्टील की अलमारी अथवा मार्गस्थ, धन (बैंक तक लाने/लेजाने तक) के लिए चोरी, संधमारी व राहजनी के विरुद्ध प्रदान किया गया है।

पेंडल साइकिल : पेंडल साइकिल को नुकसान अथवा टूटफूट तथा ₹. 10,000/- की जनदेयता सहित उपसाधनों के लिए है।

प्लेट ग्लास : यह कवर व्यापारिक परिसर या शो विंडो के दुर्घटनावाश/दुर्भावनापूर्ण टूटफूट के विरुद्ध है।

निऑन साइन : यह कवर, दुर्घटनाओं, अग्नि व संबंधित जोखिमों, उपद्रव व हड़ताल के कारण होने वाली हानि के विरुद्ध है।

बैगज बीमा : दुर्घटना / चोरी के विरुद्ध

व्यक्तिगत दुर्घटना : व्यक्तिगत दुर्घटना के अनुसार दुर्घटना जोखिम

निष्ठा गारंटी : कर्मचारी द्वारा धोखाधड़ी या बेईमानी के विरुद्ध कवर प्रदान करता है।

Note :

- 1) Section IB & II are compulsory + any 2 tables i. e. total 4 tables are compulsory.
 2) Risk & Group discount : As per Householder policy.
 3) Under insurance up to 15% of the sum insured is waived under Section I only.
 4) Excess under fire Section as per section-2 of general exclusion of Fire Policy, i.e. 5% of claim amount subject to minimum of Rs. 10,000 & maximum Rs. 25,000.

5) If insured takes LOP cover (Section XI) then he has to take section I & II table and any 2 tables of the remaining 9 sections. He may opt LOP as one of the remaining two (i.e. minimum 4 sections are required to be covered to avail the policy.)

COVERAGE :

Fire : This Section offers covers against fire and allied perils like lighting, explosion due to gas appliances, bursting of water tanks or pipes, riots and strikes. Even damages due to earthquake, subsidence, storms and cyclone and other malicious acts are covered.

Burglary : Cover against loss and damage to the property in the premises due to burglary and housebreaking.

Money : Money in the cashier's till or at the counter, or in safes / steel cupboards, or whilst being carried to / from the bank against theft, burglary and hold-up.

Pedal Cycle : Damage or loss to pedal cycles and accessories including Public liability of Rs. 10,000/-.

Plate Glass : In the business premises or the show-windows against accidental and / or malicious breakage.

Neon Signs : Insured against loss or damage due to accidents, fire and allied perils, riots and strikes.

Baggage Insurance : Against theft / accident.

Personal Accident : Accidental Risk as per Personal Accident.

Fidelity Guarantee : Covered against fraud or dishonesty by employees.